TRAI MOOTS CONSULTATION PAPER ON PLATFORM SERVICES

TRAI has mooted a consultation paper on 'Regulatory Framework for Platform Services' and 'Platform Services offered by DTH Operators'. The I&B Ministry wants to adopt certain recommendations on four issues in respect of platform services offered by MSOs.

Govt had accepted certain recommendations and some recommendations have been approved with modification and TRAI has been asked to furnish its recommendations on the suggested modifications.

The Govt is examining TRAI's recommendations on 'Regulatory Framework for Platform Services' for their implementation in respect of MSOs and LCOs.

TRAI suggested that digitisation was completed in March 2017 and DAS recommendation are only relevant at this moment.

TRAI will provide its recommendations on Recommendations on Platform Services offered by DTH Operators and the issues regarding platform services for DTH operators. The MIB has rejected the TRAI recommendation of any person/ entity desiring to providing PS, or is already providing such services, must be incorporated as a company. The Govt feels that most of MSOs/LCOs operated in small areas and they are either proprietorship or partnership firms that are not registered as companies.

Telecom Regulatory Authority of India

TRAI

प्लेटफार्म सेवाओं पर परामर्श जारी किया ट्राई ने

ट्राई ने प्लेटफार्म सेवाओं और डीटीएच ऑपरेटरो द्वारा ऑफर किये गये प्लेटफार्म सेवाओं के लिए नियामक फ्रेमवर्क पर परामर्शपत्र जारी किया है। आईएंडबी मंत्रालय, एमएसओ द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं के संबंध में चार मुद्दों पर कुछ सिफारिशें अपनाना चाहता है।

सरकार ने कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और कुछ सिफारिशों को संशोधन के साथ मंजूरी दी गयी है और ट्राई को सुझाये गये संशोधनों पर अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने को कहा गया है। सरकार, एमएसओ व एलसीओ के संबंध में उनके कार्यान्वयन के लिए 'प्लेटफार्म सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचा' पर ट्राई की सिफारिशों को जांच कर रही है।

ट्राई ने सुझाव दिया कि डिजिटलीकरण मार्च **2017** में पूरा हो गया था और डीएएस की सिफारिशें इस समय केवल प्रासंगिक है। ट्राई, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं की सिफारिशें और डीटीएच ऑपरेटरों के लिए प्लेटफार्म सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रदान करेगा। एमआईबी ने पीएस या पहले से ही इस तरह की सेवा प्रदान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति/संस्था पर ट्राई की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और बताया है कि इसे एक कंपनी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को लगता है कि अधिकांश एमएसओ/एलसीओ छोटे क्षेत्रों में संचालित करते हैं और वे या तो प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप कंपनियां हैं जो कि कंपनियों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

कंपनियों में परिवर्तित होने के लिए एमएसओ/एलसीओ को मजबूर करना व्यापार करने में आसानी के प्रचार के अनुरूप नहीं हो

Forcing MSOs/LCOs to convert into companies may not be in line with the promotion of ease of doing business and it was decided that anybody registered as a DPO, either with MIB or with the post office, shall be eligible to carry PS (Platform Services) channels.

TRAI's recommendation for a maximum of 15 PS channels may be offered by the DPOs, Govt said MSOs may be permitted to operate to a maximum of 5%, and LCOs to a maximum of 1% of the total permitted satellite channel being carried by them as permitted PS channels without any upper limit.

TRAI feels the framework of PS should not encourage the bypassing of the traditional broadcast routes. And it was not needed to separately specify the limit on the number of PS channels that may be offered by the MSOs and LCOs. This may be left to the mutual arrangement among MSOs and LCOs. An MSO may remain responsible for all the platform service channels being offered on its platform.

TRAI agrees on the recommendations on four issues regarding Platform Services offered by DTH operators may also be applicable to all DPOs including MSOs to ensure uniformity of guidelines of DTH operators and MSOs. ■

सकता है और यह निर्णय लिया गया था कि डीपीओ के रूप में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति, एमआईवी के साथ या डाकघर के साथ पीएस (प्लेटफार्म सेवाओं) चैनलों को कैरी करने का पात्र नहीं होगा।

अधिकतम **15** पीएस चैनलों के लिए ट्राई की सिफारिश को डीपीओ द्वारा पेश किया जा सकता है, सरकार ने कहा कि एमएसओ को अधिकतम **5%** तक परिचालन की अनुमति दी जा सकती है और एलसीओ को कुल अनुमति दिये गये सैटेलाइट चैनल का अधिकतम **1%** को बिना किसी ऊपरी सीमा के साथ पीएस चैनलों को दिखाने की अनुमति दी जा सकती है।

ट्राई को लगता है कि पीएस की रूपरेखा को पारंपरिक प्रसारण मार्गों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। और एमएसओ व एलसीओ द्वारा पेश किये जाने वाले पीएस चैनलों की संख्या पर सीमा को अलग से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। यह एमएसओ व एलसीओ के बीच आपसी व्यवस्था के लिए छोड़ा जा सकता है। एक एमएसओ अपने प्लेटफार्म पर पेश किये जा रहे सभी प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा पेश की गयी प्लेटफार्म सेवाओं के बारे में चार मुद्दों की सिफारिश पर ट्राई सहमत है और यह डीटीएच ऑपरेटरों व एमएसओ के दिशा-निर्देशों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एमएसओ सहित सभी डीपीओ पर लागू हो सकता है। ■